फर्द अहकाम

रामकुंवार बनाम मोहन

नाम न्यायालय : सहायक कलक्टर, बस्सी

राजस्व वाद/प्रार्थना पत्र/मुकदमा नम्बर : 31/2010

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	28/8/23	पत्रावली पेश हुई। P.O.साहब दौरे/ अन्य कार्य में व्यस्त रहने के कारण कार्यवाही नहीं की जा सकी। पत्रावली दिनांक 14/09/23 को पेश हो।
	14/9/23	पत्रावली पेश हुई। P.O.साहब दौरे/ अन्य कार्य में व्यस्त रहने के कारण कार्यवाही नहीं की जा सकी। पत्रावली दिनांक 7/11/23 को पेश हो।
	7/11/23	पत्रावली पेश हुई। P.O.साहब दौरे/ अन्य कार्य में व्यस्त रहने के कारण कार्यवाही नहीं की जा सकी। पत्रावली दिनांक 19/12/23 को पेश हो।
	19/12/23	पत्रावली पेश हुई वादी अधिवक्ता उपस्थि प्रतिवादी अधिवक्ता उपस्थित। प्रतिवादी अधिवक्ता वादी अधिवक्ता की वादपत्र पर ~~एक पक्षीय~~ अंतिम बहस सुनी गयी। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 29/12/2023 को पेश हो। (हस्ताक्षर)
	29/12/23	[illegible] वकुलाय द्वारा कन्डोलेन्स/ [illegible] ने के कारण कार्यवाही नहीं की जा सक[illegible] [illegible]ावली दिनांक 9/1/24 को पेश हो।
	09/01/24	पत्रावली पेश हुई अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। दिनांक 19/12/23 को अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई थी। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया तथा उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया। वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है। निर्णय पृथक से

फर्द अहकाम

बनाम

हायक कलक्टर, बस्सी

त्र/मुकदमा नम्बर :

आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवर
टंकित होकर शामिल मिसल हो। तहसीलदार तुंगा को तहरीर जारी हो पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर होकर नंबर से कम हो। यह निर्णय आज दिनांक 09/01/24 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।	

डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(ओ. 20 रूल्स 6 व 7 दीवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर बस्सी जिला जयपुर ग्रामीण

पीठासीन अधिकारी कनक जैन (आर.ए.एस.) सहायक कलक्टर बस्सी जिला जयपुर ग्रामीण

वादी

1. राम कुवार पुत्र रामदेव
2. कन्हैयालाल
3. गोपाल
4. रमेश
5. प्रकाश
6. राजू पुत्रान रामसहाय
7. मु0 प्रभाती बेवा रामसहाय
8. बाबू
9. सुरेश पुत्रान कल्याण
10. मु0 सोनी बेवा कल्याण
11. लक्ष्मीनारायण
12. मूलचन्द पुत्रान छीतर
13. काली बेवा छीतर (नाम हजफ)

समस्त जाति बैरवा ग्राम सांवलियावाला तह. बस्सी हाल तह. तूंगा जि. जयपुर।

बनाम

प्रतिवादी

1. मोहन
2. गोपाल
3. सोनू पुत्रान बदरी
4. मु0 नाथी बेवा बदरी
5. भोपा
6. लाला पुत्रान कन्हैयालाल
7. भौरीलाल उर्फ भूरा पुत्र रामपाल्या

   समस्त जाति बैरवा ग्राम सांवलियावाला तह. बस्सी हाल तह. तूंगा जि. जयपुर
8. उपपंजीयक बस्सी तहसील बस्सी जिला जयपुर।
9. तहसीलदार बस्सी तहसील बस्सी जिला जयपुर।

दावा बाबत् इस्तरार हक एवं स्थायी निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 88, 188 राज. काश्तकारी अधि. 1955

निर्णय दिनांक 09.01.2024

मु0न0 31/2010

वादी वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 65 रकबा 2 बीघा 8 बिस्वा वाके ग्राम सावलियावाला तहसील बस्सी हाल तहसील तूंगा जिला जयपुर का वादीगण संख्या 1 लगायत 10 को हिस्सा 1/3 का व वादीगण संख्या 11 लगायत 13 को हिस्सा 1/3 का खातेदार घोषित किया जाता है। वादग्रस्त भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादीगण के नाम का इन्द्राज उपरोक्त वर्णित हिस्सो के अनुसार दर्ज किया जाकर राजस्व रिकार्ड को दुरूस्त किये जाने हेतु तहसीलदार तूंगा को आदेशित किया जाता है एवं प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे वादीगण वादीगण की पैतृक कब्जेकाश्त व खातेदारी की वादग्रस्त भूमि को किसी प्रकार की दखल न तो स्वयं करे न अन्य से करावें। ....
.....निजी...मुबलिक..............................बाबत...
..खर्चा ....इस मुकददमें का मय सूद वगैरह..............फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलियाव तक...................को अदा करें।

बसख्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज तारीख 09.01.2024 को जारी किया गया।

मोहर

ओहदा..........................

सहायक कलक्टर बस्सी जिला जयपुर

दस्तख्त..............
सहायक कलेक्टर
बस्सी जिला–जयपुर

मुद्दई	रुपये	पैसे	मुद्दायलह	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प बकालतनामा			स्टाम्प बकालतनामा		
स्टाम्प वहत सबूत			स्टाम्प वहत सबूत		
महन्ता वकील			महन्ता वकील		
खर्चा गवाहन			खर्चा गवाहन		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बबतइजराय			बावतइजराय		
हुक्मनामा			हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
मीजान			मीजान		

नोटः— इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा पर दो फरीकेन का चाहे डिकी के जरिये दिखाया हो या नहीं दर्ज करना चाहिए।

सहायक कलेक्टर
बस्सी जिला जयपुर ग्रामीण